प्राथमिकता क्षेत्र को बैंक एवं एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा सह-ऋण पर नीति

ए. पृष्ठभूमि:

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21.09.2018 की अधिसूचना द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंक एवं एनबीएफसी कंपनियों द्वारा ऋण देने के लिए को-ओरिजिनेशन पर दिशानिर्देश जारी किए थे। सभी अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को छोड़कर) को एनबीएफसी-एनडी-एसआई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण को-ओरिजिनेशन एवं जोखिम साझा करने की अनुमति प्रदान की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों/एनबीएफसी को-ओरिजिनेशन एग्रीमेंट करने के लिए अनुमोदित नीति तैयार करने हेतु बोर्ड का गठन करने के लिए के निर्देश दिए थे।

1.2 उपर्युक्त के मद्देनजर, को-ओरिजिनेशन नीति को क्रेडिट नीति 2019-20 के एक भाग के रूप मे बोर्ड के अनुमोदन हेतु रखा गया था जो अनुमोदित हो गई।

1.3 हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और बैंकों एवं एनबीएफसी/एचएफसी के साझा प्रयासों का तुलनात्मक रूप से बेहतर लाभ उठाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने वाले संस्थानों को ऑउटसॉर्सिंग,केवाईसी आदि पर विनियामक दिशानिर्देशों की पुष्टि करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनको परिचालन संबंधी अधिक लचीचापन प्रदान करने का निर्णय लिया था।

1.4 तदनुसार, आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में सेवा से वंचित और कम सेवा प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में सुधार करने तथा अंतिम लाभार्थी को कम लागत पर धन उपलब्ध कराने एवं बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण और एनबीएफसी/एचएफसी की अधिक पहुंच पर विचार करते हुए दिनांक 05.11.2020 की अधिसूचना के माध्यम से इस योजना को संशोधित किया है और इसको "को-लेंडिंग मॉडल (सीएलएम) नाम दिया है। उक्त सर्कुलर ऋणों के को-ओरिजिनेशन पर दिनांक 21.09.2018 के आरबीआई की अधिसूचना को अधिक्रमित करता है। तथापि, पूर्व परित्रत्र के नियमानुसार किसी भी बकाया ऋण अपनी चुकौती अथवा परिपक्वता,जो भी पहले हो, तक प्राथमिकता क्षेत्र में ही वर्गीकृत रहेगा।

1.5 आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक सीएलएम में प्रवेश करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेंगे और अनुमोदित नीति को बैंक की वेबसाइट पर डालेंगे। अनुमोदित नीति के आधार पर, एक मास्टर
समझौता दो संस्थान साझीदारों (बैंक एवं एनबीएफसी/एचएफसी) के बीच होगा जिसमें परस्पर समझौते के नियम एवं शर्तें, साझीदार संस्थानों के चयन के मानदंड, विशिष्ट उत्पाद श्रृंखला और परिचालन का क्षेत्र, साथ में जिम्मेदारियों के पृथक्करण के साथ-साथ ग्राहक इंटरफेस और सुरक्षा मसलों से संबंधित प्रावधान भी होंगे।

1.6 मास्टर समझौता बैंकों को शर्तों के अनुसार एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा उनकी बहियों में उत्पन्न वैयक्तिक ऋण को अनिवार्य रूप से अपना हिस्सा लेने के लिए या उनकी बहियों में से समुचित सावधानी के बाद कुछ ऋणों को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।

1.7 सीएलएम के नियमानुसार, बैंक को पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी(एचएफसी सहित) के साथ सह-ऋण प्रदान करने की अनुमति होती है। सह-ऋणकर्ता बैंकों को अपनी बहियों में एक के बाद एक आधार पर प्रत्येक ऋण पर अपनी हिस्सेदारी लेंगे। तथापि, एनबीएफसी/एचएफसी को अपनी बहियों में प्रत्येक ऋण की 20% हिस्सेदारी रखना आवश्यक है।

1.8 सीएलएम में शामिल ऋण की हिस्सेदारी को बैंक विशिष्ट शर्तों के अनुपालन के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र स्टेटस में दावा कर सकते हैं।

1.9 उपर्युक्त नियमों के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक जारी संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए है, हम बैंक एवं एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सह-वित्तपोषण संबंधी अनुमोदित नीति जारी कर रहे हैं।

बी. नीति दिशानिर्देश:

1. **सह-ऋण मॉडल (सीएलएम) के अंतर्गत साझीदार संस्था के रूप में एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के चयन के लिए व्यापक मानदंड**

    - एनबीएफसी /एचएफसी को आरबीआई के साथ साथ 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए व्यवसाय में पंजीकृत होना चाहिए होना चाहिए और न्यूनतम नेटवर्थ 200.00 करोड़ रुपये हो।
    - एनबीएफसी /एचएफसी के पास अपनी बहियों में वैयक्तिक ऋणों का 20% हिस्सा रखना आवश्यक है।
    - बाह्य रेटिंग एजेंसी द्वारा एनबीएफसी /एचएफसी की क्रेडिट रेटिंग पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम "ए" रखी गई हो।
    - एनबीएफसी /एचएफसी की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात15% हो।
    - प्रत्येक एनबीएफसी /एचएफसी के लिए अन्य वित्तीय/गैर वित्तीय मानदंड बैंक एवं एनबीएफसी /एचएफसी के बीच होने वाले मास्टर समझौते का हिस्सा होने चाहिए।

2.सह-ऋण (को-लेंडिंग) हेतु पात्र इकाईंयां

2.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी ऋण उपलब्ध कराने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के अतिरिक्त) एवं सभी पंजीकृत एनबीएफसी(एचएफसी सहित) पर सीएलएम लागू है।

2.2सीएलएम के संबंध में, हमारा बैंक पूर्वगामी समझौते के आधार पर एचएफसी सहित सभी पंजीकृत एनबीएफसी के साथ सह-ऋण कर सकता है। तथापि, बैंक प्रोमोटर ग्रुप से संबंधित एनबीएफसी /एचएफसी के साथ सह-वित्तपोषण करने के लिए अनुमत नहीं करेगा।

2.3हमारे बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा सीएलएम को लागू करने के लिए मास्टर समझौता करते समय एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा बहियों में सृजित वैयक्तिक ऋणों का बैंक अनिवार्य रूप से हिस्सा लेगा अथवा कुछ ऋणों को निरस्त करने का विवेकाधिकार अपनी सावधानी अनुसार रखेगा।

ए. यदि समझौते में एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा सृजित वैयक्तिक ऋणों की हिस्सेदारी(शेयर) हमारी बहियों में लेने संबंधी बैंक की ओर से एक पहले से, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो आरबीआई द्वारा जारी
अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2015 और समय-समय पर अद्यतन के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर जारी प्रबंधन जोखिम एवं आचार संहिता (आचार नियमावली) संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ व्यवस्था का अनुपालन होगा। विशेष रूप से बैंक हमारे मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हमारी ओर से समुचित सावधानी बरतेगा।

बी. बैंक दिनांक 25 फरवरी 2016 को आरबीआई द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जारी एवं समय-समय पर अद्यतित निदेशनों, के अनुसार मास्टर निदेशन- अपने ग्राहक को जाने(केवाईसी) निदेशन, 2016 और और इस संबंध में हमारे मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा, जो विनियमित इकाईंयों को अनुमत करता है कि तृतीय पक्ष द्वारा की जा रही समुचित सावधानी में ग्राहकों पर भरोसा जताया जा सके।

सी. तथापि, यदि हमारा बैंक एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा सृजित ऋणों पर समझौते के अनुसार अपनी बहियों में लेने संबंधी विवेकाधिकार का प्रयोग करता है तो, यह व्यवस्था प्रत्यक्ष लेनदेन समनुदेशन के सदृश्य होगी। तदनुसार, बैंक आरबीआई की दिनांक 07 मई 2012 और 21 अगस्त 2012 को जारी और समय-समय पर अद्यतित अधिसूचना के माध्यम प्रत्यक्ष नकदी प्रवाह समनुदेशन द्वारा परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एवं अंतर्निहित प्रतिभूतियों पर, न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) के अपवाद के साथ जो इस सीएलएम के नियम के अंतर्गत ऐसे लेनदेन में लागू नहीं होगी, उस पर जारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में सभी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

डी. न्यूनतम होल्डिंग अवधि को प्रतिभूतिकरण / प्रत्यक्ष ऋण आस्तियों का समनुदेशन से पहले भुगतान की जाने वाली किश्तों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है और ऋणों के पूर्ण संवितरण की तारीख से गिना जाता है।

ई. एमएचपी छूट केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां पूर्व समझौते के बीच
बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी में बैक-टू-बैक आधार पर खंड (क्लॉज) होता है और

प्रत्यक्ष समनुदेशन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन होता है।

3. सीएलएम के अंतर्गत ऋणों का सृजन

ऋण खाते निम्नांकित प्रक्रियानुसार सृजित होंगे:

ए. एनबीएफसी ऋण सृजन गतिविधियां संपन्न करेंगी यथा मास्टर समझौते के अनुसार उत्पाद श्रृंखला की अनुरूपता के साथ उधारकर्ताओं का चयन की शुरूआत करना और सत्यापित केबाईसी दस्तावेजों एवं अपने स्तर पर अन्य समुचित सावधानी गतिविधियों को पूरा करते हुए बैंक को प्रस्ताव की अनुशंसा करेंगी। जैसे कि-

i. उधारकर्ता के आवास/व्यवसाय/कार्यस्थल का सत्यापन
ii. आयकर रिटर्न/वित्तीय विवरण/जीएसटी रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य सभी सत्यापित दस्तावेज जो मास्टर समझौते में निर्धारित किए गए हैं।
iii. संपत्ति का सत्यापन जो खरीदी/बंधक के तौर पर प्रस्तावित है, सूचीबद्ध वकील/मूल्यांकनकर्ता से विधिवत एलएसआर एवं ईवीआर सहित, उन ऋणों के मामले में जहां संपत्ति गिरवी रखा जाना शामिल हो।
iv. क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट, सरसई सर्च रिपोर्ट आदि का सत्यापन।

बी. बैंक भी उत्पाद के दिशानिर्देशों एवं लागू जोखिम आंकलन की अनुरूपता के संबंध में प्रस्ताव का अपने स्तर पर भी स्वतंत्र रूप से आंकलन करेगा। प्रस्ताव पर सह-ऋण दिशानिर्देशों को पूरा करने की पुष्टि के बाद होगा।

सी. ऋणकर्ता समूह सदस्य ग्राहक के साथ तीन तरफा समझौता करेंगे। बैंक और एनबीएफसी अपने धन को बैंक के साथ एक एस्क्रो खाते में रखेंगे जहां से ऋण संवितरित किया जाएगा। यद्यपि दोनों ऋणकर्ता ग्राहक के खाते का रखरखाव करेंगे, वे सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे एवं ग्राहक के लिए खातों का एकीकृत विवरण सृजित करेंगे ताकि भुगतान सरलता से हो सके।

डी. बैंक अपने स्तर पर भी दिशानिर्देशों के अनुसार अथवा अपनी सुविधा को संस्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उचित मॉड्यूल संयोजन (कनेक्ट पर्फेक्ट मॉड्यूल) की सहायता से समुचित सावधानी रखेंगे। समुचित सावधानी में उचित मॉड्यूल संयोजन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं जैसे कि केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन, सीआईसी(सिबिल, क्रिफ आदि) अंक, आईटीआर सत्यापन आदि शामिल होंगी।

4.ग्राहक संबंधी मामले:

4.1 एनबीएफसी/एचएफसी ग्राहक के लिए एकल बिन्दु इंटरफेस होंगे एवं उधारकर्ता से एक ऋण समझौता करेंगे. जिसमें स्पष्टत: समझौते की विशेषताएं और एनबीएफसी/एचएफसी एवं बैंक की भूमिका समाविष्ट होंगी ।

4.2 समझौते का समस्त विवरण का ग्राहक के सम्मुख प्रकटीकरण किया जाएगा और उनकी स्पष्ट सहमति लेनी होगी।

4.3 ब्याज दर एवं प्रभार्यता: दोनों की सहमति होने के बाद दोनों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप समस्त समावेशी ब्याज दर ग्राहक से प्रभारित की जाएगी ।

4.4 ग्राहक संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों एवं उचित व्यवहार संहिता एवं दायित्व जो बैंकों एवं एनबीएफसी/एचएफसी के लिए होते हैं, वो इस व्यवस्था के तहत ऋण देने के संबंध में भी लागू रहेगी।

4.5 एनबीएफसी/एचएफसी ग्राहक का एक एकीकृत विवरण सृजित करने में सक्षम होना होगा जिससे बैंक के साथ सूचना साझा करने की उचित व्यवस्था रहे।

4.6 शिकायत निवारण के संबंध में, सह-ऋणकर्ता द्वारा उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी ताकि एनबीएफसी/एचएफसी के पास उधारकर्ता द्वारा शिकायत पंजीकृत होने के 30 दिनों के भीतर समाधान किया जा सके। विफल होने पर ग्राहक के पास इससे विकल्प होगा कि वो इसे आरबीआई में संबंधित बैंकिंग लोकपाल/ एनबीएफसी/एचएफसी हेतु लोकपाल अथवा ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा कक्ष (सीईपीसी) में आगे बढ़ा सके।

5. जोखिम एवं प्रतिफल की साझा करना:

5.1 बैंक सीएलएम के अंतर्गत एनबीएफसी/एचएफसी के साथ सह-ऋण जोखिम एवं प्रतिफल साझाकरण के आधार पर कर सकेंगे, जो पारस्परिक समझौते के अनुसार व्यवसाय उदेश्यों से संबंधित उचित अलॉइनमेंट को सुनिश्चित करते हुए, एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा अपनी बहियों में वैयक्तिक ऋणों का न्यूनतम 20% हिस्सा अपने पास बनाए रखने के अध्यधीन होगा।

5.2 तथापि, एनबीएफसी/एचएफसी से सीए सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा जिसमें यह कहा गया होगा कि ऋण राशि में योगदान, न तो हमारे बैंक से और ना ही हमारे बैंक की अन्य किसी ग्रुप कंपनी/अनुषंगी से उधार लेकर वित्त पोषित किया गया है।

6. प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा:
सह-ऋण व्यवस्था में शामिल होने पर बैंक एनबीएफसी के बिना उपाश्रय के ऋण के अपनी हिस्सेदारी के संबंध में प्राथमिकता क्षेत्र दर्जे में दावा कर करेगा।

7. अन्य परिचालनगत पहलू:

7.1 बैंक एवं एनबीएफसी/एचएफसी प्रत्येक वैयक्तिक रूप से उधारकर्ता के खाते को अपने संबंधित एक्सपोजर का रखरखाव करेंगे। तथापि, बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी के मध्य सीएलएम से संबंधित सभी लेनदेन (संवितरण/पुनर्भुगतान) बैंक में खोले गए एस्क्रो एकाउंट के जरिए किया जाएगा, ताकि फंड का अंतर-मिश्रण रोका जा सके। मास्टर समझौते में सह-ऋणदाताओं के मध्य विनियोग का तरीका विशिष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए।
7.2 मास्टर समझौते में अभ्यावेदन एवं वारंटीकर्ताओं पर आवश्यक खंड (क्लॉज) समाविष्ट होने चाहिए जिससे सृजनकर्ता एनबीएफसी/एचएफसी बैंक द्वारा अपनी बहियों में ऋण का हिस्सा लेने हेतु देय होंगे।
7.3 सह-ऋणकर्ता सहमति के आधार पर ऋण की निगरानी एवं वसूली के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करेंगे जो मास्टर समझौते का एक भाग होगा।
7.4 सह-ऋणदाता आपसी सहमति योग्य नियमों के अनुसार प्रतिभूति एवं प्रभार का निर्माण की व्यवस्था करेंगे।
7.5 प्रत्येक ऋणदाता संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार जो प्रत्येक पर लागू होगी जिसमें ऋण खातों की हिस्सेदारी हेतु लागू विनियमों के अंतर्गत ऋण सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग भी शामिल है, आदि का अनुपालन करते हुए आवश्यक आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण करेंगे।
7.6 बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी अपने संबंधित आंतरिक दिशानिर्देशों, समझौते की शर्तों का पालन एंव मौजूदा विनियामक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने हेतु सीएलएम के तहत ऋणों को आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षा के दायरे में शामिल किया जाएगा। सह-ऋण के तहत ऋणों की लेखापरीक्षा करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय का लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग समवर्ती लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में उचित पहलुओं को निगमित करेगा।
7.7 किसी भी तरह का समनुदेशन किसी एक सह-ऋणदाता द्वारा किसी तृतीय पक्ष से तभी करवाया जा सकेगा जब अन्य ऋणदाता की सहमति हो।

7.8 बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी दोनों को सह-ऋण समझौते के अनुसार सह-ऋणदाताओं के बीच सह-ऋण व्यवस्था समाप्त होने पर भी उधारकर्ता को ऋण की पूर्ण अदायगी तक बाधारहित सेवा सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना लागू करनी होगी।

8. एक्सपोजर की सीमा:

8.1 चूंकि नीति की नई शुरूआत है, हम यह प्रस्ताव रखते हैं कि किसी भी एकल एनबीएफसी/एचएफसी और एनबीएफसी/एचएफसी से संबंधित समूह द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान सह-ऋण का अधिकतम कुल एक्सपोजर क्रमश: रु. 1000.00 करोड़ और रु.2000.00 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक्सपोजर का अर्थ बकाया के साथ संस्वीकृत ऋण का संवितरित नहीं किया गया भाग भी माना जाएगा।

8.2 तथापि, एनबीएफसी/एचएफसी की एकल/समूह इकाई का कुल एक्सपोजर बैंक की मौजूदा ऋण नीति दिशानिर्देशों के अनुसार प्रूडेंशियल एक्सपोजर सीलिंग द्वारा मार्गदर्शित होगी।

9. शक्तियों का प्रत्यायोजन

9.1शाखाओं का चयन:

सह-ऋण करने वाली एनबीएफसी/एचएफसी के वैयक्तिक परिचालन क्षेत्र एवं उनकी पहुंच के आधार पर ऐसे प्रस्तावों को संभालने के लिए देशभर में शाखाओं की पहचान और अधिकृत करने हेतु चयनित की जाएगी। शाखाओं का चयन करने का अधिकार सीएसी के पास होगा।

9.2 **आउटले की संस्वीकृति:**

एकल/समूह इकाई के संबंध में आउटले की संस्वीकृति की शक्तियां सीएसी/एमसीबी के पास होगी।

9.3 संस्वीकृति प्राधिकारी:

वैयक्तिक प्रस्तावों को संस्वीकृत करने का प्राधिकार बैंक की ऋण हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ही रहेगा।

9.4 बैंक एवं एनबीएफसी कंपनियों के मध्य मास्टर समझौता एवं उससे संबंधित मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP):

- सह-ऋण पर बोर्ड की अनुमोदित नीति पर आधारित, बैंक और वैयक्तिक एनबीएफसी/एचएफसी के मध्य मास्टर समझौता होगा, जिसमें व्यवस्था के नियम एवं शर्तों के साथ-साथ, साझीदार संस्थाओं के चयन हेतु मानदंड, विशेषीकृत उत्पाद श्रृंखला और परिचालन का क्षेत्र, उत्तरदायित्वों से पृथककरण संबंधी प्रावधान के साथ ही ग्राहक इंटरफेस एवं सुरक्षा मसले, सेवा प्रभार, ऋणों की लागत आदि शामिल होंगे।

- नीति दस्तावेज़ में उल्लिखित दिशानिर्देशों के आधार पर
एनबीएफसी/एचएफसी के साथ किसी सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश करते समय एक मास्टर समझौता किया जाएगा, उत्पाद के संदर्भ में रेटिंग और आंकलन प्रणाली, आस्तियों पर दस्तावेज़ीकरण और प्रतिभूति/प्रभार सृजित किए जाएं, निगरानी और वसूली प्रणाली, व्यवसाय निरंतरता योजनाएं, सेवा प्रभार, ऋणों का मूल्य निर्धारण आदि और इससे संबंधित कोई अन्य पहलू/ प्रक्रिया पर व्यापक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जाएगी।

- एसओपी तैयार होने के बाद अनुमोदन हेतु सीएसी के समक्ष रखी जाएगी।
- वैयक्तिक एनबीएफसी/एचएफसी के साथ मास्टर समझौते की विधिक जांच कॉ.का: विधि विभाग द्वारा की जाएगी और अनुमोदन हेतु सीएसी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित विभाग के महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष टाइ-अप को प्राधिकृत करेंगे, एनबीएफसी/एचएफसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

10. आईटी इंटीग्रेशन/इंटरफेस:

बैंक और एनबीएफस के बीच आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए निम्नांकित कार्यों के लिए इंटीग्रेशन/इंटरफेस होना चाहिए:

- साझाकृत एपीआई के माध्यम से केवाईसी एवं समुचित सावधानी के कस्टमर आंकड़े बाधारहित साझा होने चाहिए
- बैंक और एनबीएफसी दोनों के द्वारा सीबीएस में ऋण खाता खोलने के लिए ग्राहक का सुसंगत डाटा और ऋण संबंधी फील्ड्स का एकीकरण हो।
- ग्राहक के लिए खाते का विवरण एवं पुनर्भुगतान हेतु अवधि की सारणी को अंतिम रूप देने के लिए बहु पुनर्भुगतान एवं अकाउंटिंग नीतियों, सह-ऋणदाताओं की ब्याज दरों का बेंचमार्क एवं उसके परिवर्तन आदि का कंफिग्रेशन हो।
- फंड के अंतर मिश्रण से बचने के लिए, जैसे कि संवितरण होने वाला फंड और पुनर्भुगतान अलग-अलग रहे, इसके लिए सभी लेनदेनों हेतु बैंक में एस्क्रो खाते का रखरखाव होगा। तथापि ऋण के भुगतान को संबंधित ऋण खाते में रियल टाइम बेसिस पर करने के लिए एस्क्रो खाते में उपयुक्त कंफीग्रेशन करना होगा।

11. विचलन:

नीति से संबंधित दिशानिर्देशों/एसओपी में किसी भी विचलन को अलग-अलग मामले के आधार पर संबंधित समिति(यथा सीएसी/एमसीबी) द्वारा अनुमत किया जाएगा।

12. नीति की वैधता एवं नवीकरण:

- नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 अथवा समीक्षा/नवीकरण किए जाने तक वैध रहेगी।
- मौजूदा दिशानिर्देशों/निदेशों/पहल में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित किए जाने पर परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किए जाएंगे, जिसके लिए सीआरएमसी द्वारा अल्प अवधि के नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी और सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।